यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 31/2022
दायर दिनांक : 09/06/2022
निर्णय दिनांक : 03/11/2025

उनवान

1 लक्ष्मीशंकर पिता माधवलाल जाट निवासी गूरला तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पिता रेणमल जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. बाली बाई पत्नी मोहनलाल जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
3. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री आसिफ इकबाल, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय में पेश किया जिसमें काफी समय लगेगा उक्त प्रकरण सुदृढ तथ्यो पर आधारित होने से प्रार्थी के पक्ष में अवश्य निर्णित होगा। ग्राम रावतिया के दर्ज खाता स0 नया 246 के आ0स0 1270 रकबा 0.13 है0 आ0स0 1271 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है0 मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है राजस्व रेकार्ड की हाल जमाबंदी पेश है। अप्रार्थी स0 1 2 मुझ प्रार्थी के खातेदारी आराजियात में प्रवेश कर दखलदांजी करते है दिनांक 07.06.2022 को खेत पर मैं जुताई के लिए गया तो अप्रार्थी 1 2 ने मौके पर आकर दखलदांजी की जबकि उक्त आराजियात मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार उक्त आराजियात में नही है। उक्त आराजियात पहले संयुक्त खातेदारी की थी लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश से उक्त आराजियात का कानूनी रूप से बंटवाडा होकर मुझ प्रार्थी के नाम बंटवाडे से दर्ज है। उक्त आराजियात मुझ प्रार्थी द्वारा भूरीदेवी पुत्री दलीचंद जाट से दिनांक 20.11.2017 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी तथा तब से मुझ प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजियात के संबंध में अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है कि वादपत्र में अंकित आराजियात में जबरन प्रवेश नही करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे तथा साथ ही अप्रार्थी स0 3 राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हक व कब्जेशुदा जमीन में जबरन प्रवेश कर दखलदांजी नही करे साथ ही अप्रार्थी स0 3 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे इस हेतु अप्रार्थी स0 1 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री चन्द्रशेखर जोशी ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 22.05.24 को जवाब बंद किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होना बताया। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजियात में दखलअन्दाजी नहीं करें एवं रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:29 IST
Reason: SelfAttested